CHRONICLE

Nurturing Talent Since 1990

2006-2021

16 वर्ष

हल प्रश्न-पत्र

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

लोक प्रशासन

प्रश्नोत्तर रूप में

संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित

अनुक्रमणिका

विषयवार हल प्रश्न-पत्र 2006-2021

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021 (प्रथम प्रश्न-पत्र) 1-14
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2021 (द्वितीय प्रश्न-पत्र) 15-27

प्रथम प्रश्न–पत्र

- लोक प्रशासन: परिचय 5–22
- प्रशासनिक विचार 23–67
- प्रशासनिक व्यवहार 68–74
- संगठन 75–88
- जवाबदेही और नियंत्रण 89–98
- प्रशासनिक कानून 99–104
- तुलनात्मक लोक प्रशासन 105–110
- विकास गतिशीलता 111–121
- कार्मिक प्रशासन 122–136
- सार्वजनिक नीति 137–151
- प्रशासनिक सुधार की तकनीक 152–166
- वित्तीय प्रशासन 167–181

द्वितीय प्रश्न–पत्र

- भारतीय प्रशासन का विकास 182–187
- सरकार के दार्शनिक और संवैधानिक ढांचे 188–198
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 199–207
- केंद्र सरकार और प्रशासन 208–233
- योजनाएं और प्राथमिकताएं 234–248
- राज्य सरकार और प्रशासन 249–268
- स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन 269–274
- नागरिक सेवाएं 275–294
- वित्तीय प्रबंधन 295–308
- स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक सुधार 309–316
- ग्रामीण विकास 317–322
- शहरी स्थानीय सरकार 323–333
- कानून और व्यवस्था प्रशासन 334–344
- भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे 345–355

पुस्तक के संबंध में

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विगत 16 वर्षों (2006-2021) के प्रश्नों का अध्यायवार हल:

प्रश्नों को हल करने की प्रकृति: पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर को मॉडल हल के रूप में दिया गया है। प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तर सारगर्भित हो, तथा पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप हो। पुस्तक में प्रश्नों के इतर भी विशिष्ट जानकारी को उत्तर में समाहित किया गया है, ताकि अभ्यर्थी इसका उपयोग न सिर्फ हल प्रश्न पत्र के रूप में, बल्कि अध्ययन सामग्री के रूप में भी कर सकें।

पुस्तक का उपयोग कैसे करें?: इस पुस्तक का उपयोग अभ्यर्थी अपने उत्तर लेखन शैली में सुधार लाने तथा प्रश्नों की प्रवृति व प्रकृति को समझने के लिये कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न इसमें सबसे लाभदायक होते हैं। पुस्तक में दी गई सामग्री का इस्तेमाल बिंदुवार, निश्चित शब्द सीमा का पालन, उप-शीर्षक एवं आरेख आदि का प्रयोग अभ्यर्थी अपने उत्तर लेखन शैली के अभ्यास हेतु आधुनिक परिपेक्ष में कर सकते हैं। पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर उसके सम्बंधित वर्ष के अनुसार ही दिया गया है।

लोक प्रशासन - एक वैकल्पिक विषय के रूप में: लोक प्रशासन समसामयिक मुद्दों से जुड़ा एक रुचिकर विषय है, इसलिए इसमें वैश्विक स्तर के साथ-साथ हमारे आस-पास होने वाले घटनाक्रमों पर भी निरंतर नजर बनाए रखना और उससे सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। यही सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्रों की भी मांग है। इसके चयन से प्राम्भिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पत्र की तैयारी में मदद मिलती है। सामान्य अध्ययन के चौथे प्रश्न पत्र के मौलिक व आधारभूत संकल्पनाओं को लोक प्रशासन विषय के माध्यम से सहजता से सीखा जा सकता है। यह विषय निबंध के प्रश्न-पत्र और साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है।

यह पुस्तक छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के आलावा राज्य लोक सेवा आयोगों (उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एवं झारखण्ड) के बदले हुए पाठ्यक्रम में आयोजित होने वाले सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लोक प्रशासन के प्रश्न पत्र में उपयोगी साबित होगा।

संपादक

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (प्रथम प्रश्न-पत्र)

लोक प्रशासन

लोक प्रशासनः परिचय

प्र. लोक सेवा परिदान में दक्षता को वांछित स्तर पर लाने के लिए लोक सेवा अभिप्रेरण उपागम का एक अभिप्रेरक के रूप में परीक्षण कीजिए।

उत्तरः लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक अभिप्रेरण उपागम है। अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक होती है जो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। यह एक ऐसा अंतः कारक है जो कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है।

- अभिप्रेरणा वह मनौवैज्ञानिक बल है जो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है। इसकी तुलना जनरेटर से की जाती है जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होता है अर्थात मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाला तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरणा करते हैं, जिससे लोक सेवा में वांछित अभिप्रेरणा लाया जा सकता है।
- लोक प्रशासन में अभिप्रेरणा पर व्यापक विचार रखने वाले हर्जवर्ग महोदय, अब्राहम मासलों मैक ग्रेटर आदि हैं। हर्जबर्ग महोदय का मानना है कि 'अभिप्रेरक धारकों' के अंतर्गत उपलब्धि, पहचान, कार्य चुनौतियां, उत्तरदायित्व, विकास एवं वृद्धि को सम्मिलित किया जाता है। इस क्रम में अभाव तथा वृद्धि दोनों क्रम की आवश्यकताएं शामिल है।

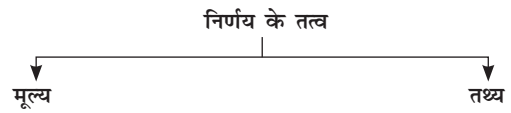

- डगलस मैकग्रेगर के अनुसार अधिकांश लोगों में क्षमता की कमी होती है और वे हमेशा परिवर्तन का विरोध करते हैं जबकि 'सिद्धांत वाई' के अनुसार रचनात्मक की क्षमता जनसंख्या में व्यापक रूप में फैली हुई है। ज्यादातर लोग स्वभाव से रचनात्मक होते हैं और वे किसी भी बदलाव को स्वीकार करते हैं। जो आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अति आवश्यक है।
- अभिप्रेरणा लोगों की उद्यमशिलता बढ़ाने में सबसे अधिक मददगार है। भारत के संदर्भ में भी यह सिद्धांत समीचीन प्रतीत होता है। क्योंकि संगठन में कार्यरत व्यक्ति की अभिप्रेरणा स्रोत निरंतर बदलता रहता है। अतः प्रबंधकों को उनकी बदलती हुई अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर अभिप्रेरित करना चाहिए।
- जिससे संगठन में वांछित समन्वय एवं उत्पादकता स्तर में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। एक अभिप्रेरित सिविल सेवक ही अंतःकरण से सर्वोदय की संकल्पना को साकार कर सकता है।

प्र. एक सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रशासनिक चिंतन की विभिन्न धाराओं का समाकलन संस्कृति के प्रभाव से बाधित होता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तरः ऐसे प्रशासनिक सिद्धांत जो सभी देश, क्षेत्र व काल में एक जैसे हो और सभी को स्वीकार्य हो ऐसे सिद्धांतों को सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत कहा जा सकता है। ऐसे में इन सिद्धांतों को विज्ञान की तरह सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है।

- हालांकि लोक प्रशासन के विषयगत विकास के शुरुआती दौर में हेनरी फेयोल का प्रबंध सिद्धांत वही टेलर महोदय का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को वैज्ञानिक और सार्वभौमिक होने का दावा किया गया, इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को भी सार्वभौमिक बताया गया है लेकिन विभिन्न क्षेत्र में प्रशासन अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के हिसाब से संचालित होता है न कि किसी एक सार्वभौमिक सिद्धांत से।
- हालांकि प्रश्न उठता है कि क्या प्रशासनिक सिद्धांतों का समाकलन किया जा सकता है। ऐसा करना संभव नहीं लगता क्योंकि सभी देशों में अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परम्परा और समस्या विद्यमान है ऐसे में उन समस्याओं को हल करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के ढांचागत विकास की जरूरत पड़ती है।
- अधिकांश देश 1950-60 के दशक में यूरोपीय देशों से स्वतंत्रता हासिल की वहां पर आज भी यूरोपीय प्रशासनिक ढांचा बना हुआ है, यहां तक कि भारत में आज भी अधिकांशतः ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा और नियमों का अनुसरण किया जाता है। इसलिए विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का प्रशासनिक ढांचा मौजूद है।
- लोक प्रशासन के चिंतकों ने सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया लेकिन मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है। क्योंकि मानव की अपनी सोचने समझने की क्षमता है। मानव कोई मशीन नहीं है कि जिसपर एक प्रकार के सिद्धांतों से कार्य कराया जा सके।
- प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती है देश की संस्कृति प्रशासन को प्रभावित करती है वहीं प्रशासन संस्कृति को प्रभावित करता है। ऐसे में भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न बदलाव देखने को मिलता है और एकरूप प्रशासन का होना असंभव सा लगता है।

- विश्व में ही नहीं बल्कि भारत को तो विविधता में एकता वाला देश ही कहा जाता है जहां गंगा-जमुना संस्कृति, उत्तर पूर्व की संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति और कश्मीरियत की संस्कृति भी काफी भिन्नता देखने को मिलती है अत: भारतीय संविधान में भी विभिन्न समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग प्रावधान किये गये हैं।

प्रशासनिक विचार

प्र. "हर्बर्ट साइमन निर्णयों में प्रोग्राम या गैर प्रोग्राम की व्याख्या के लिए द्वि-आयामी वर्गीकरण का उपयोग किया था।" व्याख्या कीजिए।

उत्तर: हर्बर्ट साइमन महोदय व्यवाहारवादी विचारधारा के अग्रणी विचारक माने जाते हैं, प्रशासन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रशासनिक क्रियाविज्ञान पर अध्ययन करते हुए सर्वाधिक बल निर्णय प्रक्रिया पर दिया। निर्णयन को प्रबंधन के समतुल्य मानते हुए इसे "प्रशासन के हृदय" की संज्ञा देते हैं तथा सभी प्रशासनिक गतिविधि को इसमें शामिल करते हैं।

- निर्णयन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साइमन महोदय को 1978 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- साइमन महोदय के अनुसार निर्णय प्रशासन के सभी स्तरों पर लिए जाते है। जिसका द्विआयामी वर्गीकरण निम्न हैं-

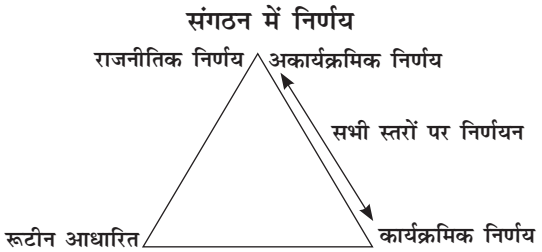

- यद्यपि निर्णयन के स्वरूप व प्रकार में भिन्नता पायी जाती है अर्थात उच्चतर स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय अकार्यक्रमिक व राजनीतिक तथा निम्न स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय रूटीन आधारित व कार्यक्रमिक होते हैं।
- साइमन के अनुसार "दो या दो से अधिक विकल्पों में दूष्टतय विकल्प का चयन ही निर्णयन है।"
- निर्णयन संरचना को स्पष्ट करते हुए साइमन ने बताया कि प्रत्येक निर्णय तथ्य व मूल्यों के संयोजन का परिणाम होता है।

- साइमन के अनुसार जब निर्णय लिए जाते हैं तब ये मूल्य आधारित होते हैं तथा जब इन्हें क्रियान्वित किया जाता है तो वे तथ्यात्मकें निर्णय कहलाते हैं।
- साइमन के अनुसार मूल्यों व तथ्यों का यह मिश्रण निर्णयन को कठिन बना देता है इसलिए हमें निर्णयन में वैज्ञानिकता को बढ़ाना चाहिए, जिसमें मूल्य निर्णयन को घटाया जा सके।
- निर्णयन हेतु मॉडल देते समय साइमन महोदय ने परम्परागत तार्किक मॉडल, आर्थिक मानव मॉडल को नकारते हुए "सीमित तार्किकता" मॉडल दिया, उनके अनुसार चूंकि मानवीय व्यवहार को पूर्ण तार्किक होने में कई कारक (जैसे सांगठनिक कारक, वैयक्तिक कारक, समय व लागत, संज्ञानात्मक सीमाएं व बाध्य कारक) बाधक होते हैं।
- अत: व्यक्ति सीमित तार्किक व्यवहार करता है तथा निर्णयन हेतु उपलब्ध विकल्पों में श्रेष्ठतम विकल्प के चयन के बजाय प्राय: संतोदप्रद निर्णय ही ले लेता है।

प्र. नव वेबेरियन राज्य में प्रशासनिक संरचनाओं के संचालन के प्रतिमान को नागरिक आवश्यकता पूर्ण करने पर केंद्रीत प्रतिमान में परिवर्तन करना सम्मिलित है। विवेचना कीजिए।

उत्तर: लोक प्रशासन विषय में नव वेबरियन स्टेट की चर्चा पहली बार पोलेट के द्वारा की गयी जिसके अनुसार नव वेबरियन स्टेट निम्न है।

- नव वेबरियन स्टेट में देश को शासन प्रशासन व्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया हैं जहां मेंटेनर्स स्टेट परम्परागत राज्य का नेतृत्व करते हैं जिसमें मैक्स वेबर के विचारों पर आधारित नौकरशाही तटस्थता, विशेषज्ञता, विधि आधारित होकर परम्परागत तरीके से कार्य करती है। इस मॉडल का उदाहरण भारत के रूप में दिया गया है।
- दूसरा मॉडल मारकेटाइजर्स स्टेट के रूप में दिया गया है, जिसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में दिया गया है। जहां कि अर्थव्यवस्था अधिकांशत: मार्केट आधारित अर्थात निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन पर निर्भर है। जहां सरकार एक सहायक और सुविधा प्रदापक की भूमिका में है।
- तीसरा मॉडल मॉडर्नाइजर्स स्टेट के रूप में दिया गया है जिसमें यूरोप के विकसित देश जैसे फ्रांस, जर्मनी व ब्रिटेन आदि को शामिल किया गया है। विद्वानों का मानना है कि मॉडर्नाइजर्स स्टेट ने अपने को समय के हिसाब से बदला है और उच्च स्तर की आधुनिकता को अपनाया है। और अधिक से अधिक लोकतांत्रिकरण पर बल दिया है। पदसोपानिक व्यवस्था की बजाय जन केन्द्रीत सेवा प्रदान करने पर ज्यादा बल दिया है।
- हालांकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नौकरशाही नव वेबरियन स्टेट में भी अपना आधार बनाए हुए हैं। नौकरशाही का साम्राज्य इतना बड़ा तथा व्यवस्थित होता है कि एक बार स्थापित हो जाने के बाद उसका विकल्प ढूंढना कठिन होता है। इसका कारण नौकरशाही की प्रभुता है जो इसमें निहित ज्ञान व निर्वेक्तिकता के कारण स्थापित होती है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (द्वितीय प्रश्न–पत्र)

लोक प्रशासन

भारतीय प्रशासन का विकास

प्र. भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय प्रशासन के लिए आदर्शों तथा मूल्यें की रूपरेखा प्रदान करती है। विवेचना कीजिए।

उत्तर: प्रस्तावना भारतीय संविधान के उन उच्च आदर्शों का परिचय देती है, जिन्हें भारतीय जनता ने शासन के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया है। इन आदर्शों का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व या राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता स्थापित करना है। प्रस्तावना भारतीय संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशीला है।

- भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। इसमें नागरिकों के हितार्थ ऐसे सभी प्रावधान किये गये हैं जिनसे उनके हितों की रक्षा हो, उनकी स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो तथा उनको विकास और प्रगति का अवसर मिले।
- भारतीय संविधान की उद्देश्यिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। उद्देश्यिका संविधान का सार मानी जाती है। इसके लक्ष्य प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह "हम भारत के लोग" से प्ररंभ होती है।
- संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है इसका निर्धारण भी उद्देश्यिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देश्यिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने और उद्देश्य को जानने में की जा सकती है।
- सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखण्डता को जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को वैध ठहराया था।
- केशवानंद भारती मामले (1913) में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद-368 के तहत संशोधित किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा मामले में कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता व निष्पक्षता प्रदान करते हैं।

प्र. सुशासन के क्रियान्वयन में लालफीताशाही एक प्रमुख अवरोध है। टिप्पणी कीजिए।

उत्तर: लालफीताशाही से तात्पर्य, प्रशासनिक नियमों का सख्ती से पालन, जो निर्णय प्रक्रिया में बाधक बने। इस शब्द का प्रयोग नौकरशाही के लिये किया जाता है। प्रशासन में लालफीताशाही का मतलब कार्यबिलम्ब से है।

वर्ष 1992 में शासन और विकास नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन की परिभाषा तय की। इसने सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया है। सुशासन का सामान्य अर्थ बेहतर शासन से है।

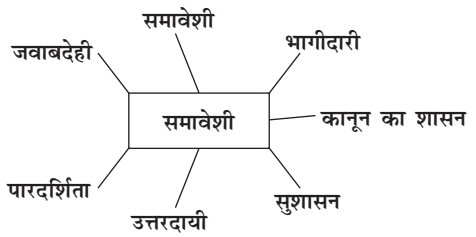

- वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास एवं सबके विश्वास के मिशन के साथ सुशासन लाने के लिए कार्य कर रही है जिसका उद्देश्य सबके लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।
- नौकरशाही में लालफीताशाही, राजनीति का अपराधिकरण, सिविल सेवकों एवं व्यापारिक घरानों का गठजोड़ सार्वजनिक नीति निर्माण एवं सुशासन पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
- शासन की गुणवत्ता सुधारने में लालफीताशाही एक बड़ी बाधा है। यह स्पष्ट रूप से मानवीय लालच भ्रष्टाचार का चालक है। अधिकारी बिना सुविधा शुल्क लिए फाइल आगे नहीं बढ़ाते। यही सुशासन की प्रमुख बाधा के रूप में उभरता है। यह भारत में भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। लालफीताशाही प्रशासनिक अकर्मन्यता को दर्शाता है।
- हालांकि वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तथा सिटिजन चार्टर जैसे जन केंद्रित प्रावधानों से कुछ सीमा तक प्रशासनिक लालफीताशाही पर लगाम लगा हऐै लेकिन सुशासन सुनिश्चित करने के लिए इसे और व्यापक बनाए जाने की जरूरत है।
- शासन में सुधार के लिए उपर्युक्त रणनीति बनाने और लागू करने में राज्यों को सक्षम बनाना ताकि शासन व्यवस्था को और बेहतर परिणामोन्मुखी बनाया जा सके कारगर सिद्ध होगा।

सरकार के दार्शनिक और संवैधानिक ढांचे

प्र. परीक्षण कीजिए की किस सीमा तक संविधानवाद के आदर्श के रूप में 'सीमित शक्तियों द्वारा शासन' भारत में एक कार्यात्मक वास्तविकता रहा है।

उत्तर: संविधानवाद से तात्पर्य सीमित सरकार से है इसका सिद्धांत जॉन लॉक द्वारा दिया गया था। संविधानवाद संविधानिकता की अवधारणा के एक ऐसा तंत्र है जो लोकतांत्रिक सरकार को मान्यता प्रदान करता है। भारत में संविधानवाद को देश के मौलिक शासन का एक स्वभाविक परिणाम माना जाता है।

- संविधानवाद के सिद्धांतों में शक्तियों का पृथक्करण, जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार, लोकप्रिय संप्रभुता, स्वतंत्र न्यायापालिका, व्यक्तिगत अधिकार और कानून का शासन शामिल है। कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले में कहा, संविधान एक अनमोल विरासत है और इसलिए आप इसकी पहचान नष्ट नहीं कर सकते।
- संविधानवाद की अवधारणा सभी कार्यशील लोकतंत्रों में पनपती है। हालांकि वर्षों से सरकारों ने नागरिकों को लाभ पहुंचाने के बजाए अपने स्वयं के लाभ के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करना सीख लिया है।
- सरकार ने नीति निर्माण में कॉर्पोरेट हितों को पिछले दरवाजे से शामिल कर नीति-निर्माण प्रक्रिया को दूषित कर दिया है। जिसका प्राथमिक उद्देश्य बहुसंख्यक आबादी का कल्याण है। व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो दस्तावेज अपनाया गया था, उसका उपयोग उन्हें दबाने और वंचित करने में किया जा रहा है।
- समस्या यह है कि संविधान खुद की व्याख्या नहीं कर सकता और इसकी व्याख्या सत्ता में रहने वाले लोगों द्वारा की जाती है जो संस्थाएं संविधानवाद की गढ़ थी वे या तो ढह रही है या प्रभावी रूप से कमजोर और अक्षम हो गई है।
- नियंत्रण और संतुलन को इस हद तक कम कर दिया गया है कि उनका महत्व केवल अकादमिक है। राजनीति और शासन के गलियारों में धनबल व अपराधिकरण के प्रभाव ने पहले से ही अस्थिर व्यवस्था को और खराब कर दिया है। संवैधानिकता की घोर अवहेलना में सरकार की उदासीनता के कारण जो निराशा पैदा हो रही है वे अत्यंत खतरनाक है। संविधानवाद सरकार की सकारात्मक सक्रियता से ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्र. संसदीय व्यवस्था में स्पीकर की भूमिका एवं स्थिति तटस्थता पर स्पीकर की अवस्थिति पर आधारित है। टिप्पणी कीजिए।

उत्तर: भारतीय संसदीय परम्परा में लोक सभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नव गठित सदन के प्राथमिक कार्यों में से एक है। वर्तमान में लोक सभा के स्पीकर ओम बिड़ला हैं।

- भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। भारत में सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। यह प्रक्रिया एक परम्परा के रूप में विकसित हुई है। हालांकि ब्रिटेन में स्पीकर अपना पद धारण करने के बाद अपने दल से त्यागपत्र दे देता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे किंतु भारत में ऐसी कोई परम्परा देखने को नहीं मिलती इसलिए यह कहा जाता है कि भारत में स्पीकर की भूमिका व तटस्थता उसकी अवस्थिति पर आधारित है।
- स्पीकर सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोक सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है।
- स्पीकर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऐसी बैठके किसी विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। वह सदन को स्थगित कर सकता है या गणपूर्ति की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है।
- स्पीकर पहली बार मत नहीं देता लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार है। ऐसे मतों को निर्णायक मत कहा जाता है। जिसका उद्देश्य गतिरोध का समाधान करना है। स्पीकर किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है।
- दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोक सभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय स्पीकर ही करता है। यह शक्ति 52वें संविधान संशोधन द्वारा स्पीकर में निहित है।
- वह देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। अत: स्पष्ट है कि स्पीकर का पद काफी जिम्मेदारी भरा व जीवंत है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

प्र. कौटिल्य ने राज्य तथा इसके लोगों के संरक्षण, कल्याण एवं समृद्धि को अवधारित किया जो कि एक शासक का अंतिम सरोकार होना चाहिए। इस संदर्भ में समसामयिक भारत में सुशासन, जवाबदेयता, तथा न्याय पर कौटिल्य के प्रभाव के महत्व का विवेचन कीजिए।

उत्तर: चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन काल इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके विधि निर्माता, सलाहकार आचार्य कौटिल्य थे। राज्य को उन्होंने एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा दिया, विभागाध्यक्षों में स्पष्ट कार्य विभाजन किया। उनकी कार्यशैली आपसी सहयोग के नियम, उनके कामों का निरीक्षण, उनको प्रोत्साहन तथा दण्ड के कानूनी प्रावधान जैसे मूल सिद्धांतों जिनके वे स्वयं जनक थे, के अनुरूप बनाया।

- भारतीय प्रशासन में पहली बार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा चाणक्य द्वारा ही दी गयी। सभी अधिकारी राजाज्ञा का पालन करें। उनके अनुसार निर्णय लें, केवल आपात स्थितियों में स्वयं निर्णय लें।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
(प्रथम प्रश्न पत्र)
लोक प्रशासनः परिचय

प्र. "नव लोक सेवा लोक प्रशासन सिद्धान्त एवम व्यवहार के आधार हेतु लोकतंत्र एवं नागरिकता पर जोर देती है।" स्पष्ट कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020)

प्रश्न की मांग: प्रस्तुत प्रश्न में रॉबर्ट डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट द्वारा प्रतिपादित नव लोक सेवा सिद्धांत जो नव लोक प्रबंध सिद्धांत की सीमा को दूर करने के उद्देश्य से प्रतिपादित हुआ, उसका उल्लेख करना है। नव लोक सेवा किस तरह लोकतंत्र और नागरिकता पर जोर देती है उसका उल्लेख करना है।

उत्तर: लोक प्रशासन में 1990 के बाद न्यूनतम हस्तक्षेपवाद के युग में प्रशासन में नवलोक प्रबंध के सिद्धांतों का अभ्युदय हुआ, जिसके कारण लोक प्रशासन सामूहिक तौर पर बाजार, राज्य, नागरिक समाज मिलकर कार्य करने लगा तथा नौकरशाही की भूमिका में भी कमी की अवधारणा को बल मिला। न्यूनतम शासन अधिकतम अभिशासन प्रशासन का ध्येय का वाक्य बना लेकिन यह सिद्धांत विकसित देशों के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई, लेकिन विकासशील देशों जैसे भारत आदि के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुई। नव लोक प्रबंध सिद्धांत ने तीव्र निजीकरण की प्रक्रिया पर बल दिया। इस सिद्धांत के निम्न दुष्परिणाम विकासशील देशों में देखने को मिले, जिसे भारतीय उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है जैसे कि

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 94वां स्थान
- मात्र 1% जनसंख्या के पास कुल संपत्ति का 85%
- मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान
- बेरोजगारी की दर में 5% की वृद्धि
- शिक्षा में गुणवत्ता और ड्रॉप आउट रेट की समस्या का बरकरार रहना।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व में 145वां स्थान आदि।

इन विपरीत परिणामों के प्ररिप्रेक्ष्य में नव लोक प्रबंधन के सिद्धांतों की कमियों को दूर करने के लिए रॉबर्ट डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट द्वारा नव लोक सेवा का उदय हुआ। जिसने नव लोक प्रबंधन के विपरीत शासन में नव लोक सेवा को अपनाने की बात की और लोकतंत्र नागरिकता पर बल दिया। नव लोक सेवा ने निम्न तौर पर नव लोक प्रबंध के विपरीत शासन में लोकतंत्र और नागरिकता पर बल दिया।

सैद्धांतिक आधार	NPM	NPS
सिद्धांत	आर्थिक सिद्धांत पर बल	लोकतांत्रिक सिद्धांत पर बल
तार्किक और मानवीय व्यवहार	आर्थिक तार्किकता	नागरिक हितों का प्रतिनिधित्व
नागरिक	उपभोक्ता	नागरिक
सांगठनिक संरचना	संगठन में विकेन्द्रीकरण लेकिन नियंत्रण के साथ	संगठन में सामूहिक संरचना की बात करता है
सरकार की भूमिका	स्टीयरिंग (Steering)	(सर्विंग) सेवा (Serving)

उपर्युक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट है कि विभिन्न सैद्धांतिक अवधारणा में नव लोक सेवा ने लोकतंत्र और नागरिकता को समान महत्व दिया है। नव लोक सेवा ने कल्याण को पुर्नस्थापित किया है तथा नौकरशाही द्वारा बाजार और नागरिक समाज में संतुलन की बात की है।

प्र. "नव लोक प्रबंध के अन्तर्गत जवाबदेयता आमूल परिवर्तन से गुजरी है, यद्यपि संकेन्द्रण निरंतर प्रबंध पर रहा है।" टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020)

प्रश्न की मांग: प्रस्तुत प्रश्न में नव लोक प्रबंध सिद्धांतों के अंतर्गत विभिन्न विचारक जैसे कलेयर ह्यूज, युसुफ हबीबी द्वारा प्रतिपादित जवाबदेयता के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए इसका केन्द्रण किस तरह मूलत: सेवा जनकल्याण जैसे प्रबंध पर बना रहा है, उसका उल्लेख करना है।

उत्तर: 1990 के दशक में क्रिस्टोफर डक, डेविड और ओस्बार्न आदि चिंतकों ने नव लोक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लोक प्रबंध सिद्धांत में न्यूनतम हस्तक्षेपवाद और न्यूनतम शासन और अधि कतम अभिशासन पर बल दिया गया। नव लोक प्रबंध सिद्धांत के अभ्युदय से वर्तमान तक इसमें (जवाबदेह) जवाबदेयता कई परिवर्तनों से गुजरी। जवाबदेयता के अंतर्गत कलेयर ह्यूज (Clair hughes), हिरोमी योयामाताओ, यूसुफ हबीबी ने अलग-अलग सिद्धांत दिए। इसमें प्रमुख तौर पर यूसुफ हबीबी ने पांच प्रकार की जवाबदेयता का वर्णन किया।

प्रकार	व्यवहार में प्रयोग
• वित्तीय जवाबदेही	कैग की अतिसक्रियता
• ऑपरेशनल जवाबदेही	पूर्व निर्धारित लक्ष्य
• लोक जवाबदेही	सोशल ऑडिट

• राजनीतिक सामाजिक जवाबदेही।	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन Social impact assesment
• कॉरपोरेट जवाबदेही	सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व corporate social Responsiblity

उपर्युक्त तालिका द्वारा नव लोक प्रबंध में जवाबदेयता के परिवर्तन और प्रकार को समझा जा सकता है। लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद फोकस प्रबंधन पर बना रहा है। सरकार और शासन की जनता के प्रति जवाबदेयता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रबंधन का ध्येय विकास और कल्याण ही है, उसे प्राप्त करने के साधनों और जवाबदेही में परिवर्तन हुआ है।

प्र. "लोक प्रशासन का निरंतर पुनः आविष्कार किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रसंगाश्रित है।" विस्तार से स्पष्ट कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2019)

उत्तर: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक महत्व के विषयों के प्रबन्ध को लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन लोकहित में किया जाने वाला कोई भी ऐसा प्रशासन है, जो दूसरे शब्दों में सहज तौर से सरकारी प्रशासन के अर्थ में सिमट गया है। कुछ लोग व्यापक दृष्टिकोण अपनाते है और लोक प्रशासन में सरकारी नीति को पूरा करने वाले तमाम क्रियाकलापों को इसके अन्तर्गत शामिल करते है। दूसरे लोग संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर लोग प्रशासन में उन्हीं क्रियाकलापों को सम्मिलित करते है, जिनका सरकार की निष्पादन शाखा (कार्यपालिका) से सरोकार हो।

लोक प्रशासन सरकार को राजनीतिक अधिकारी तन्त्र है, जो सरकार की सक्रिय विधि और नीति को लागू करता है; जैसे- राजस्व संग्रह, कानून व व्यवस्था बनाये रखना, रेल और डाक सेवाओं का संचालन आदि। ये सभी लोक प्रशासन के काम हैं। लोक प्रशासन राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है। यह राजनीतिक निर्णय करने वालों के नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन का साधन है। **जॉन कार्सन** एवं **जोसेफ हेरिस** ने ठीक ही लिखा है "लोक प्रशासन निर्णय करता है, योजना बनाता है विधायी तथा नागरिक संगठनों की स्थापना तथा उनका पुनर्गठन करता है, कर्मचारियों को निर्देशन और पर्यवेक्षण करता है, नेतृत्व प्रदान करता है, संसूचनाएं करता है, नियन्त्रण करता है, कार्य की पद्धति और प्रक्रिया निर्धारित करता है, सम्पन्न कार्यों का मूल्यांकन करता है। लोक प्रशासन सरकार का क्रियाशील पक्ष है। इसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।" लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए **नीग्रो** ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और उसका सम्बन्ध राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था से भी जोड़ने का प्रयास किया है। उनके अनुसार-

- सार्वजनिक व्यवस्था में एक सहयोगिक सामूहिक प्रयास है;
- कार्यपालिकाएं, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका तीनों अंगों एवं उनके अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों से सम्बन्धित है;
- सार्वजनिक नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस तरह राजनीतिक प्रक्रिया का एक भाग है;
- विभिन्न और महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर निजी प्रशासन से भिन्न होता है; और
- समुदाय को सेवाएं प्रदान करने के कार्य में असंख्य नीति संगठनों एवं व्यक्तियों के साथ सम्बन्धित रहता है।

संक्षेप में लोक प्रशासन को सरोकार निम्नलिखित बातों से है:

1. लोक नीति की रचना और उसका क्रियान्वयन,
2. सरकार की कार्यपालिका (निष्पादन) शाखा,
3. संगठनात्मक ढांचा और प्रशासन तन्त्र
4. प्रशासन प्रक्रियाएं,
5. अधिकारी तन्त्र और उनके क्रियाकलाप,
6. समाज की सेवा करने के उपक्रम में अनेक निजी समूहों और व्यक्तियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ना,
7. संगठनों और उसके परिवेश के बीच पारस्परिक कार्य।

प्र. क्या नव लोक प्रबंधन लोकतान्त्रिक राज्य-व्यवस्था को प्रोन्नति करने में असफल रहा है? व्यक्ति के, एक नागरिक के रूप में और एक ग्राहक के रूप में संदर्भों में, विश्लेषण कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2019)

उत्तर: लोक प्रबन्ध अवधारणा एकदम नई अवधारणा नहीं है, पिछले तीन दशकों से इस अवधारणा पर चर्चा करते रहे है। **गार्सन** एवं **ओवरमेन** के अनुसार लोक प्रबन्ध वैज्ञानिक प्रबन्ध नहीं है और न प्रशासनिक विज्ञान है। तथापि यह दोनों से अत्यधिक प्रभावित है। **जेन एरिक लेन** के अनुसार निजी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रबन्धकीय तकनीकों को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करना नवीन लोक प्रबन्ध है।

नवीन लोक प्रबन्ध का जोर प्रबन्ध पर है, कार्य निष्पादन पर है, दक्षता पर है न कि नीति पर (The new public management focuses on management, not policy and on performance appraisal and efficiency)। नवीन लोक प्रबन्ध तीन 'E' का हासिल करना चाहता है। -Efficiency, Economy and Effectiveness (कुशलता, मितव्ययिता तथा प्रभावशीलता)।

नवीन लोक प्रबन्ध लोक विकल्प विचारधारा एवं प्रबन्धवाद पर निर्भर है। यह बाजार और निजी क्षेत्र प्रबन्ध के महत्व पर आधारित अवधारणा है। यह लोक प्रशासन में प्रतिस्पर्धात्मक तत्व का समावेश करता है। यह राज्य पर बाजार के वर्चस्व को अंगीकार करता है। इसके अनुसार निजी सार्वजनिक अधिकारी तन्त्र के सिकुड़ने से जो खाली जगह बनेगी, उसे बाजार द्वारा भरा जाना है। यह वेबर के नौकरशाही प्रतिमान की आलोचक है, बाजार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा एकाधिकारों का प्रबल विरोधी है। यह वाणिज्य क्षेत्र की प्रबन्ध विधियों एवं तकनीकों का लोक प्रशासन में प्रयोग पर जोर देता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं: व्यापार समान प्रबन्ध सेवा एवं ग्राहक उन्मुखीकरण तथा बाजार जैसी प्रतिस्पर्धा।

NPM शब्द को सन् 1991 में क्रिस्टोफर हुड ने गढ़ा था। आज इस विचारधारा से सम्बन्धित विद्वानों में गेराल्ड काइडन, पीण हौगेट, सी, पौलिट, आर रोड्स आर. एक. कैली तथा एक टेरी के नाम उल्लेखनीय है। ओसबोर्न ओर गैबलेर की 'रिइन्वेन्टिग गवर्नमेण्ट' (1992) तथा अलगोर की 'नेशनल परफोरमेन्स रिव्यू' ने इस उपागम को काफी समृद्ध किया है।

'नवीन लोक प्रबन्ध' (New Public Management) प्रतिमान का जोर बाजारोन्मुखी और निजीकरण की ओर है, लेकिन इसके आलोचकों का मत है कि सार्वजनिक प्रबन्ध विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसे 'बाजार' द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

संगठन

प्र. "जवाबदेयता और उत्तरदायित्व के संदर्भ में संगठन के विभाग, मण्डल तथा आयोग संगठन के भिन्न प्रारुप हैं।" विश्लेषण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020)

प्रश्न की मांग: प्रस्तुत प्रश्न में विभाग, मण्डल और आयोग को परिभाषित करते हुए इनमें जवाबदेयता उत्तरदायित्व का प्रयोग किस तरह और कितनी मात्रा में होता है, उसका उल्लेख करना है।

उत्तर: विभाग का निर्माण कार्यपालिका द्वारा होता है। विभाग सरकार का अभिन्न अंग है, उस पर मंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है। वहीं दूसरी ओर जब विभाग के शीर्ष पर सत्ता का उपभोग एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से करते हैं, तो इसे मंडल या आयोग प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। बोर्ड और आयोग सामान्यतया पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तथापि इनमें अंतर है। बोर्ड सदैव सामूहिक रूप से कार्यवाही करते हैं, उनमें किसी भी सदस्य को पृथक रूप से अंतिम निर्णय करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। आयोग सामूहिक रूप से कार्य करते ही हैं, उनके प्रत्येक सदस्य को एक यूनिट या इकाई के रूप में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मिलता है। बोर्ड के तौर पर रेलवे बोर्ड, राज्य के बिजली बोर्ड को रखा जा सकता है। वहीं आयोग में लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रखा जा सकता है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही के तौर पर विभाग ज्यादा केंद्रीकृत होते हैं। विभाग में उत्तरदायित्व और जवाबदेही पदसोपानिक होती है। विभाग अपने मंत्रालय के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक कार्य की सूचना और अद्यतन जानकारियां समय-समय पर पदसोपानिक क्रम में अवर सचिव, उपसचिव, अतिरिक्त सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सविच, सचिव आदि को पहुंचानी होती है।

दूसरी ओर बोर्ड उन्हीं कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेह होता है; जिनके लिए उनका गठन किया गया है। जैसे कि रेलवे बोर्ड टिकट की समस्या के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह नहीं होगा उसके लिए आइआरसीटीसी (IRCTC) अलग अंग है। वह सिर्फ नियुक्त किए प्राधिकारी के प्रति या उससे ऊपर के क्रम के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

आयोग भी उन्हीं कार्यों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होते हैं, जिन कार्यों के लिए उनका सृजन किया गया है। आयोग के सारे सदस्य अध्यक्ष के प्रति और अध्यक्ष नियुक्त किए गए प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे:- राष्ट्रीय महिला आयोग। साथ ही स्मरणीय है कि आयोग और बोर्ड में निर्णय सामूहिक तौर पर माना जाता है। विभाग की तुलना में बोर्ड और आयोग कम जवाबदेह और ज्यादा उत्तरदायी होते हैं।

प्र. "भविष्य के संगठन सावयवी-अनुकूली संरचनाएं होंगी परंतु वे अस्थायी व्यवस्थाएं होंगी।" वॉरेन बेनिस ने संगठन के नये प्रारूप का चरित्र-चित्रण किस प्रकार से किया है विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020)

प्रश्न की मांग: प्रस्तुत प्रश्न में वॉरेन बेनिस ने संगठन में नौकरशाही की स्वत: समाप्ति की अवधारणा और इसके पश्चात संगठन में जो नयी संरचना लोकतंत्र (Adhocracy) का उदय होगा, उसका वर्णन करता है। वॉरेन बेनिस ने अपनी पुस्तक 'द टेम्पोरेरी सोसायटी' में नौकरशाही की आलोचना करते हुए संगठन का नया स्वरूप सामने रखा है उसका वर्णन करना है।

उत्तर: संगठन में वेबर की नौकरशाही सिद्धांत के कई आलोचक हुए। इसी क्रम में वॉरेन बेनिस नामक चिंतक ने भी नौकरशाही की आलोचना की और इसे संगठन के लिए अनुपयुक्त बताया वॉरेन बेनिस ने संगठन में नौकरशाही की मृत्यु की अवधारणा दी। बेनिस के अनुसार 'नौकरशाही अपनी यथास्थितिवाद कायम रखने की परंपरा या केन्द्रीकरण, पदसोपान, लाल फीताशाही, अलोचनशीलता, गोपनीयता आदि सिद्धांत को कायम रखने की परंपरा और अत्यधिक प्राधिकार उन्मुखता के कारण मृत्यु का शिकार स्वत: होगी तथा भविष्य में इनका स्थान संगठन सावयवी अनुकूल संरचना (organic-adaptive structure) लेगी जो विकेन्द्रीकृत, लोचशील, पारदर्शी आदि सिद्धांतों से युक्त होगी। लेकिन बेनिस के अनुसार यह संगठन भी दीर्घजीवी नहीं होगा।' इसका स्थान संगठन में (Adhocracy) लोकतंत्र लेगा।

वारेन बेनिस ने 'द टेंपोरेरी सोसायटी' किताब में 1968 में लोकतंत्र की अवधारणा दी।

बेनिस के अनुसार संगठन में लोकतंत्र की निम्न विशेषता होगी-

- आर्गेनिक संरचना
- अनौपचारिक व्यवहार
- जॉब स्पेशलाइजेशन
- सेलेक्टिव विकेन्द्रीकरण
- उच्च संचार प्रक्रिया
- अनौकरशाही आधारित कार्य संस्कृति आदि

लेकिन स्मरणीय है कि बेनिस के संगठन में नौकरशाही के विपरीत लोकतंत्र की अवधारणा अस्तित्व में नहीं आई। बल्कि जी रॉब्लिसन के अनुसार 'बेनिस की नौकरशाही की स्वत: समाप्ति सिद्धांत और लोकतंत्र सिद्धांत के विपरीत नौकरशाही ने अपने अंदर संरचनात्मक और व्यवहारात्मक सुधार लागू किए। नौकरशाही ने अपनी भूमिका का पुर्ननिर्धारण किया।'

प्र. "निष्पादन सूचना उपयोग सांगठनिक व्यवहार का एक प्रारूप है जो व्यक्ति, कार्य, सांगठनिक एवं पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है।" आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020)

प्रश्न की मांग: प्रस्तुत प्रश्न में सांगठनिक व्यवहार के निष्पादन में सूचना के उपयोग का उल्लेख करना है, साथ में इसका व्यक्ति, कार्य, संगठन और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसका उल्लेख करना है। साथ में कौन से कारक आलोचनात्मक रूप से निष्पादन सूचना उपयोग को प्रभावित करते हैं, उसका उल्लेख करना है।

उत्तर: निष्पादन सूचना का उपयोग निष्पादन मूल्यांकन और कार्मिकों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट तैयार करने में प्रयुक्त होता है। निष्पादन सूचना सांगठनिक व्यवहार का महत्वपूर्ण तत्व बनते जा रहा है। निष्पादन सूचना व्यक्ति, कार्य, संगठन एवं पर्यावरणीय कारकों से निम्न तौर पर प्रभावित होता है।

- **व्यक्ति:** खुद कार्यों को करने की प्रवृत्ति उसके निष्पादन की सूचना तैयार करती है जैसे- दिल्ली के एक कांस्टेबल ने कई बच्चों को तस्करी से बचाया। उसकी कार्य से संबंधित इस सूचना ने उसे डबल रैंक प्रमोशन दिया।
- **कार्य:** कार्य करने की प्रवृत्ति भी निष्पादन सूचना का निर्धारण करती है। सैन्य संगठन और निजी संगठन में अब रैंक पर आसीन CEO की कार्य के प्रति समर्पण संगठन के चरित्र और लागत में कमी लाती है।
- **संगठन:** संगठन द्वारा कार्मिकों के प्रति दृष्टिकोण, कार्य करने की उपर्युक्त दशा प्रदान करने का तरीका निष्पादन पर प्रभाव डालता है और सूचना तैयार करने में मदद करता है। संगठन का संचरण अगर थ्योरी- X द्वारा तो कार्मिकों के प्रति निष्पादन सूचना का नकारात्मक प्रयोग और संगठन का संचरण अगर (Theory-y) थ्योरी-y के सिद्धांत से कार्मिको के प्रति निष्पादन सूचना का सकारात्मक प्रयोग की संभावना रहती है।
- **पर्यावरणीय कारक**- तकनीक की उपलब्धता, आपदा आधारभूत संरचना की उपलब्धता, संगठन अन्य संगठनों से संबंध आदि निष्पादन को प्रभावित करने के साथ उससे संबंधित निष्पादन सूचना को भी प्रभावित करता है।

लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। निष्पादन सूचना हर समय व्यक्ति, कार्य संगठन, पर्यावरणीय कारक को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर संगठन हार्न इफेक्ट, हैलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेसी का शिकार है तो निष्पादन सूचना ज्यादा मायने नहीं रखती।

प्र. "ब्यूरो विकृति संगठनों में सक्षमता को बदनाम करती है।" व्याख्या कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2019)

उत्तर: वेबर ने नौकरशाही तथा उससे सम्बन्धित अन्य संरचनाओं, जैसे- सत्ता, औचित्यपूर्णता या वैधताएं वर्ग पश्चिमी समाज (मूलत: प्रशिया को राजतन्त्र), के प्रमुख तत्वों को विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार समाज के संगठन के मूल में शक्ति और प्रभुत्व (डोमिनेशन) है। मूल्य सहभागिता के कारण ये सत्ता नेतृत्व और औचित्यपूर्णता बन जाते है।

वेबर के अनुसार नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. संगठन के कार्य को कर्मचारियों में इस प्रकार विभाजित कर दिया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को कार्य का कोई विशेष भाग पूरा करना होता है। इस पद्धति में वह एक ही कार्य को बार-बार करते हुए उस कार्य में कुशल हो जाता है।
2. प्रत्येक नौकरशाही तन्त्र में प्रशासन की एक शृंखला का पद क्रम की परम्परा होती है, जिससे अधीनस्थ कर्मचारी उच्चस्तरीय कर्मचारियों की देख-रेख में रहते हैं।
3. आधुनिक कार्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था लिखित दस्तावेजों तथा फाइलों पर ही आधारित है।
4. कर्मचारियों का चयन उनकी तकनीकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है।
5. नौकरशाही के सदस्य के रूप में रोजगार को प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका बना लेता है।
6. इस तन्त्र में कर्मचारियों को निश्चित वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है।
7. इस तन्त्र में प्रबन्ध व्यवस्था द्वारा निर्धारित कुछ नियम होते हैं, जिनका सभी कर्मचारियों तथा अनुयायियों को पता होता है।
8. कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत पसन्द और नापसंदगी से बाधित हुए बिना ही अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करें।
9. नौकरशाही संगठन एक अत्यन्त कार्यकुशल संगठन है। नौकरशाही ठीक वैसे ही अधिक कार्यकुशल है जैसे कोई एक मशीन अन्य मशीनों के तुलना में अधिक उत्पादन देती है।

वेबर के शब्दों में, "ये सभी विशेषताएं मिलकर संगठन को उच्च स्तर की कुशलता प्राप्त करने में सक्षम बना देती है।" सिद्धान्तत: यह "आदर्श प्रकार' विभिन्न क्षेत्र में सभी प्रकार के संगठनों के लिए लागू होता है चाहे वह निजी हो या सरकारी। नौकरशाही सत्ता अपने विशुद्ध रूप में वहां लागू होता है, जहां प्रशासन में अधिकाधिक बौद्धिकता को आधार बनाया गया हो। नौकरशाही की बुराई कितनी ही क्यों न की जाए, सरकारी कार्यालयों में बैठे कर्मचारियों के बिना प्रशासनिक कार्यों को निरन्तर एवं प्रभावशाली ढंग से नहीं कराया जा सकता। नौकरशाही प्रशासन को मूलभूत आधार की ज्ञान पर आश्रित नियन्त्रण का प्रयोग है। यही विशेषता उसे बौद्धिक बना देती है। इसी बौद्धिकता के कारण उसे असाधारण शक्ति प्राप्त हो जाती है।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
(द्वितीय प्रश्न पत्र)
भारतीय प्रशासन का विकास

प्र. मुगल प्रशासन में भारतीय और गैर-भारतीय तत्वों का संयोजन शामिल था। विवेचना कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020)

प्रश्न की मांग: प्रस्तुत प्रश्न में मुगल प्रशासन में भारतीय और गैर भारतीय तत्वों की पहचान करनी हैं। मुगल प्रशासन में मिश्रित तत्वों का उल्लेख है।

उत्तर: मुगल साम्राज्य भारत में 1526 ई. से 1757 ई. तक अपने चरमोत्कर्ष पर रहा और किसी भी साम्राज्य की दीर्घजीविता के लिए उसका प्रशासनिक आधार महत्व रखता है मुगलों के पास भी भारतीय और गैर भारतीय तत्वों से युक्त सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा था। मुगल प्रशासन में सर्वप्रथम भारतीय तत्वों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

- **राजस्व प्रशासन:** मुगलों की राजस्व प्रणाली टोडरमल की दहसाला प्रणाली पर आधारित थी। जो पोलज, परती, चाचर, बांजर में विभक्त थी। साथ ही मुगलों का भूमि राजस्व व्यवस्था भी पूर्व की अलाउद्दीन की भूमि व्यवस्था का विकसित रूप था।
- **जागीरदार प्रणाली:** मुगलों की जागीरदार प्रणाली पूर्व की जमींदारी व्यवस्था और इकतादारी प्रणाली का ही मिश्रित स्वरूप था।
- **तकावी ऋण:** जो एक प्रकार का शिक्षा ऋण था यह भारतीय व्यवस्था से लिया गया था। पूर्व के शासकों की भांति मुगल प्रशासन भी मूलत: धार्मिक सिद्धांतों से संचालित होता था।
- मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में पहली बार ऊंचे प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की गई थी जैसे- मानसिंह।
- वहीं दूसरी ओर मुगलों के प्रशासन कुछ गैर भारतीय तत्व भी थे जिस पर मंगोल, तुर्क, अफगान आदि व्यवस्था का भी प्रभाव था इसे निम्न तौर पर देखा जा सकता है।
- **मनसबदारी व्यवस्था:** मुगलों ने प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था मंगोली से ली थी। मनसबदारी प्रशासन में अधिकारी का पद या हैसियत तय करता था।
- **कागजी प्रशासन:** मुगलों ने प्रशासन में कागजों के इस्तेमाल पर जोर दिया। यह कागजी प्रशासन गैर भारतीय था।
- सुलह-ए-कुल की नई अवधारणा मुगल प्रशासन का आधार बनी जिसमें धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित प्रशासन पर बल था। इसके अंतर्गत
  - ❖ जजिया का उन्मूलन
  - ❖ तिर्थ यात्रा कर की समाप्ति
  - ❖ अनुवाद विभाग की स्थापना आदि

प्र. भारत की लोक सेवाएं ब्रिटिश राज से विकसित हैं। इन सेवाओं के भारतीयकरण का पथ निर्धारण कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020)

प्रश्न की मांग: प्रस्तुत प्रश्न में भारतीय लोक सेवा के विकास की चर्चा करनी है। साथ ही लोक सेवा के भारतीयकरण के लिए किए जा रहे प्रयास की चर्चा करनी है।

उत्तर: भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या लोक सेवा ब्रिटिश राज में अपनाई गई लोक सेवा का ही परिष्कृत रूप है। भारत में लोक सेवा का विकास ब्रिटिश राज के दौरान ही हुआ है इसे निम्न तौर पर देखा जा सकता है।

विकास क्रम
↓
वारेन हेस्टिंग द्वारा जिलाधिकारी के पद की स्थापना
↓
कार्नवालिस द्वारा 1787 में जिला प्रशासन के कार्यों का पृथक्करण
↓
वेलेजली द्वारा प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना
↓
1833 ई. के चार्टर एक्ट में भारतीयों की लोक सेवा में भर्ती की अवधारणा
↓
1853 ई. में पहली बार भत्ती प्रणाली का विकास
↓
1861 ई. में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट का विकास
↓
एचसिन कमेटी सिविल सेवा वर्गीकरण की अनुशंसा
↓
इसलिंग्टन कमेटी सिविल सेवा का भारतीयकरण
↓
ली कमीशन लोक सेवा आयोग की स्थापना
↓
संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना
↓
1948 में आई.सी.एस. का आई.ए.एस में रूपांतरण

उपर्युक्त रेखा चित्र द्वारा लोक सेवा का विकास क्रम आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में इस लोक सेवा के भारतीयकरण के प्रयास भी जारी हैं, जिसे निम्न तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है–

- इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 में संशोधन।
- पुलिस एक्ट– 1861 में संशोधन की अनुशंसा
- कई नए पदों का सृजन राज्य स्तर पर जिला प्रशासन के अंदर।
- भर्त्ती प्रक्रिया में परिवर्तन जैसे कोठारी, सतीश चंद्रा, होता कमेटी के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा पद्धति में बदलाव।
- प्रशिक्षण में परिवर्तन– 1987 में मध्यावधि प्रशिक्षण की नई पद्धति।
- RTI द्वारा ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट 1923 में परिवर्तन।
- सामान्यज्ञ विशेषज्ञ में संतुलन आदि।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट को लागू करना आदि।

इस तरह भारतीय लोक सेवा को ब्रिटिश राज की क्षति से बाहर निकालकर उसके भारतीयकरण के लिए धीरे–धीरे प्रयास हो रहे हैं।

प्र. अर्थशास्त्र में मूलपाठ में ''राज्य न तो एक पुलिस राज्य है और न ही मात्र एक कर एकत्रित करने वाला राज्य है''। टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2019)

उत्तर: कौटिल्य के आर्थिक विचार तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्षेप पर स्थापित किया जाने वाला कठोर नियन्त्रण और अनेक उद्योगों एवं कार्यों को करना तथा कल्याण राज्य (Welfare State) की मानना है। अनेक विद्वानों ने कौटिल्य की इन व्यवस्थाओं में राजकीय समाजवाद (State Socialism), समृद्धवाद (Collectivism) तथा अधिनायकवाद (Totalitarianism) की झलक देती है। एक जर्मन विद्वान बेलोएर (Breloer) ने कौटिल्य की आर्थिक योजना (Economic Planning) के विचार का जन्मदाता कहा है।

इन सब विचारों में काफी अत्युक्ति है। समाजवाद और समूहवाद 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न होने वाली विचारधारणाएं है, चौथी शताब्दी ई.पू. में कौटिल्य के समय में ये परिस्थितियां नहीं थीं, अत: उस समय समाजवादी विचारों की कल्पना करना ठीक नहीं है।

इसी आधार पर विनय कुमार सरकार ने उपर्युक्त अर्बन विद्वान के मत का खण्डन करते हुए कहा है नियोजन (Planning) का विचार प्रथम विश्वयुद्ध की नियोजन के आधुनिक विचार का मूल तत्व यह है कि कुछ वर्षों के लिए आर्थिक विकास का एक कार्यक्रम बनाया जायें और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए लक्ष्य तथा साधन और प्राथमिकताएं निश्चित करके सब कार्य किये जायें और प्रतिवर्ष प्रगति का सिंहावलोकन होता रहे। 'अर्थशास्त्र' में हमें ये सब बातें नहीं मिलती है। फिर भी हमें इनमें से कुछ बातें दिखायी देती है।

पहली बात बजट तथा प्रत्येक विभाग के आर्थिक कार्यों से होने वाली राजकीय आमदनी की है। विभिन्न विभागों पर राज्य का कड़ा नियन्त्रण इस दृष्टि से रखा गया है कि ये राज्य को निश्चित आमदनी देते रहें। नियोजन के आधुनिक सिद्धान्त में विकास की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, जबकि 'अर्थशास्त्र' में आर्थिक नियन्त्रण पर। किन्तु फिर भी, 'अर्थशास्त्र' में इस कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा पाते है। राजा का आदर्श और लक्ष्य प्रजा के सुख में अपना सुख तथा प्रजा के हित में अपना हित समझता है।

वह समाज के निर्बल वर्गों, अनाथों, विधवाओं का भरण–पोषण करता है। कारीगरों और मजदूरों की रक्षा की व्यवस्था करता है।

साथ में सभी प्रकार के समाज–विरोधी तत्वों से जनता की रक्षा करने के लिए कानून बनाता है। संक्षेप में कौटिल्य के अद्वितीय विचारों के कारण भारतीय राजनीतिक विचारधारा में विशिष्ट स्थान है।

प्र. 'सांविधानिकता भारत में प्रशासनिक इमारत का मूलाधार है।' विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2017)

उत्तर: संविधान में तीन प्रकार की सेवाओं का वर्णन है, अखिल भर्ती हेतु केंदीय सेवाएं (रक्षा सेवासहित) और राज्य सेवाएं, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कुछ और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है और राज्य सभा बहुमत से ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करती है या उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के साथ पारित करती है।

इसी अनुच्छेद के तहत 1962 में तीन और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया ये सेवाएं थी अखिल भारतीय अभियंत्रगण सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा सेवा, इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या पांच करने का निश्चय किया गया किंतु इनमें सिर्फ एक भारतीय वन सेवा की ही स्थापना की गई है।

अखिल भारतीय सेवकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और संवर्ग (कैडर) के बंटवारे में राज्य सरकारें किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं रहती। भारतीय संविधान में संघ और राज्य दोनों स्तरों पर लोक सेवाओं से संबंधित विशेष प्रावधानों की चर्चा अनुच्छेद 308, 309, 311 के गहन अध्ययन से भारत में लोक सेवकों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 309 के तहत संघ और राज्य दोनों सरकारों को अपनी आवश्यकता के अनुसार लोक सेवकों की व्यवस्था करने का प्रावधान है। वास्तव में अनुच्छेद 309 की व्यवस्था, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें लोक सेवकों का पद सृजित कर सकती है।

हमारी संघीय प्रणाली की दृष्टि से परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होती है, प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माताओं को ऐसा करने के लिए किस बात ने मजबूर किया इस संदर्भ में वे प्रशासनिक ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से अधिक मार्गदर्शित हुए।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राज्य प्रशासन के हर स्तर पर सभी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहते हैं। इन सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है जो कि एक संघीय संस्था है। वे संवैधानिक रूप से केंद्र के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य होते हैं, राज्य सरकारों की सिर्फ एक जिम्मेवारी होती है– अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का प्रशासनिक अनिवार्यता के अनुसार पदस्थापन और स्थानान्तरण करना।

सेवा नियमों और विनियमों के अंतर्गत इन अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति दोनों केंद्र के द्वारा होती है। एक ऐसी विचित्र स्थिति की कल्पना की जा सकती है जब कोई राज्य केंद्र द्वारा सभी अधिकारियों को स्वीकार न करे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा होगा कि इस परिस्थिति का सौहार्दपूर्ण समाधान क्या हो सकता है।

अनुच्छेद 256, 257 के तहत राज्य केंद्र का निर्देश मानने के लिए बाध्य होता है किसी भी राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास अनुछेद 256–257 का उल्लंघन माना जायेगा। इतना ही नहीं राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य है कि वे केंद्र की दिशा–निर्देशों का पालन करे।

सरकार के दार्शनिक और संवैधानिक ढांचे

प्र. भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग व्यापक परिमाण में भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि दार्शनिक भाग के कई अन्य स्रोत हैं। दार्शनिक भाग के स्रोतों की विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020)

प्रश्न की मांग: भारतीय संविधान पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा है उसकी चर्चा करनी है साथ में संविधान में लिए गए दार्शनिक आधारों के साथ उनके स्रोतो की चर्चा करनी है।

उत्तर: भारतीय संविधान कई देशों के संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में कई तत्व 1935 ई. के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं जो कि निम्न हैं-

- संघात्मक व्यवस्था
- राज्यपाल का कार्यालय
- न्यायालय
- लोक सेवा आयोग
- प्रशासनिक संरचना
- आपातकालीन प्रावधान आदि।

वही दूसरी ओर भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार भी कई देशों से लिए गए हैं जो कि निम्नवत हैं-

- स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणराज्य की संकल्पना फ्रांस के संविधान से ली गई।
- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की संकल्पना रूस के संविधान से लिया गया।
- विधि की स्थापित प्रक्रिया-जापान से लिया गया
- मौलिक अधिकार- अमेरिका नीति निदेशक तत्व- आयरलैंड आदि से लिए गए हैं।
- संविधानवाद, अधिकार आधारित दृष्टिकोण दूसरे देशों के संविधान से लिए गए।

उपर्युक्त तथ्यों के संदर्भ में कई विचारकों जैसे के.सी. हीपर, मोरिस जोंस आदि ने भारतीय संविधान की आलोचना की कि यह उधार लिया संविधान है इसकी अपनी मौलिकता नहीं है लेकिन इन आलोचना के प्ररिप्रेक्ष्य में संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब अंबेडकर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि यह सच है कि भारतीय संविधान के कई तत्व दूसरे देशों से लिए गए लेकिन यह तत्व पूर्ण सुधार और परिष्कृत रूप में भारतीय संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार संविधान में शामिल किए गए है। इन सभी तत्वों का भारतीयकरण कर दिया गया है।

प्र. आर्थिक सुधारों ने भारत के संविधान के आधारभूत मूल्यों और आत्मा (भावना) का महत्वपूर्ण ढंग से अतिलंघन किया है। परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2019)

उत्तर: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के गणतन्त्र के लक्ष्य स्थापित किये गये हैं। यह लिख गया है कि "सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाला बन्धुत्व बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकृत किया गया है।"

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्मात्री सभा में घोषित किया था कि "सभा का पहला काम स्वतन्त्र भारत के संविधान के माध्यम से भूखों को भोजन देना और निर्वस्त्रों का तन ढाकना तथा प्रत्येक भारतीय को उसकी पूरी क्षमता के अनुसार स्वयं को विकसित करने के अवसर प्रदान करना होगा।"

इस सामान्य लक्ष्यों का ठोस रूप संविधान के तृतीय भाग तथा चतुर्थ भाग प्रदान किया गया है। तृतीय भाग में मौलिक अधिकार और चतुर्थ भाग में नीति-निर्देशक सिद्धान्त दिये गये है। अधिकारों का भारतीय अधिनियम कदाचित् संसार में सबसे अधिक विस्तृत है। इस अधिनियम में 24 अनुच्छेद है और मौलिक अधिकारों का यह अध्याय सात अधि कारों में विभाजित किया गया है। सात अधिकार, सम्पत्ति का अधि कार (1978 में किये गए 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह अधि कार समाप्त हो गया है) तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अंतिम या सातवां अधिकार उपरोक्त अधिकारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा शेष अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा का अधिकार ने ऐसी शक्तियां प्रदान की है, जिनसे शेष सभी अधिकारों की सुरक्षा हो जाती है।

संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों के माध्यम से अधिकारों की सुरक्षा की शक्ति प्रदान करता है। उपरोक्त दोनों न्यायालय आदेश या निर्देश देने की क्षमता रखते है। इन आदेशों वे निर्देशों को लेख (Writ) कहा जाता है। यह व्यवस्था हमारे संविधान-निर्माताओं ने ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था से ली है। लेख हैं- बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिबंध लेख, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार पूच्छा लेख।

अलग-अलग प्रकार के अवसरों पर इन लेखों में कोई एक प्रवर्तन में आता है। जब तक संविधान ही इन लेखों के प्रवर्जन पर रोक न लगायें, संवैधानिक उपचार के अधिकार को स्थापित नहीं किया जा सकता। किसी मामले को न्यायालय के समक्ष ले जाने का अधिकार जबकि वह मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध रखता हों, स्वयं भी एक मौलिक अधि कार है, यह बात इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने योग्य है।

प्र. भारतीय सिविल सेवा पर मैकाले के विचार अधिकारीतंत्र की संभ्रांत थियोरी के समरूप हैं, जो अभी तक भी कायम हैं। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2019)

उत्तर: भारतीय संविधान ने लोक सेवकों को कुछ निश्चित सुरक्षाएं प्रदान की है, ताकि वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निर्भीकता और विवेकपूर्ण ढंग से कर सके। अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान उन्हें अपने पद की सुरक्षा के प्रति कोई आशंका नहीं होनी चाहिए (धारा 311)। ये सुरक्षाएं हैं:

(i) किसी भी लोक सेवक को उसे नियुक्त करने वाले अधिकारों से निम्न स्तर का अधिकारी निलंबित या पदच्युत नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ किसी अधिकारी को सिर्फ उससे वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित या पदच्युत कर सकता है।

(ii) बर्खास्त या पदच्युत या पद घटाने से पहले संबंधित अधिकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का न्यायोचित अवसर दिया जाएगा। 'न्यायोचित अवसर' का क्या अर्थ होता है? क्या इसका अर्थ किसी अधिकारी पर आरोप लगाने से पहले उसकी बातों को सुनना होता है या कोई अंतिम कदम उठाने से पहले उसकी बातों को सुनना? संविधान सभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई। संविधान के 16वें संशोधन के अनुसार अधिकारी को केवल एक अवसर देना अनिवार्य है।

संविधान की धारा 311 के उपबंध (2) के अनुसार प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में तीन उपवाद हैं:

(i) जब किसी अधिकारी को न्यायालय द्वारा फैजदारी मामले में दोषी प्रमाणित होने के आधार पर बर्खास्त, निलंबित या अवनत किया जाता या प्रमाणित किया गया हो, यहां प्रश्न उठता है किस प्रकार का फैजदारी आरोप? किसी गंभीर प्रकार के आरोप या सामान्य कोटि के आरोप? इसे स्पष्ट नहीं किया गया है।

(ii) जब कोई वैधानिक अधिकारी इस बात से आश्वस्त है कि कोई जांच प्रक्रिया अपनाना विवेकपूर्ण और व्यावहारिक नहीं है। इस स्थिति में वह चाहे तो जांच गठित करने की अवहेलना कर सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने का लिखित कारण बताना होगा।

(iii) जब राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसी भी स्थिति हो, इस बात से संतुष्ट है कि संबन्धित व्यक्ति को बचाव का अवसर देना देश की सुरक्षा के हित में नहीं है।

जहां तक संविधान की धारा 311 का प्रश्न है, हमारे लोक सेवकों को उपर्युक्त सुरक्षाएं उपलब्ध है, लेकिन संविधान की धारा 320(3) (c) के अनुसार, "केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत किसी अधिकारी के विरूद्ध किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले संघ लोक आयोग या राज्य लोक आयोग, जो भी स्थित हो, से परामर्श किया जाएगा।

इन मामलों से संबंधित स्मरण-पत्र या निवेदन पत्र और संबंधित अधिकारी की उस पर प्रतिक्रिया दोनों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से गुजरना होगा। इस प्रकार, लोक सेवा आयोग को इस प्रक्रिया में सम्मिलित करके हमारे संविधान-निर्माताओं ने कार्यपालक के संभावित निरंकुश व्यवहार से लोक सेवकों की रक्षा करने की कोशिश की। लेकिन वे सुरक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि इस संबंध में लोक आयोग के सुझाव को मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है।

अधिकारियों के पास दूसरा विकल्प है- न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर न्यायपालिका से सुरक्षा की मांग करना। लेकिन न्यायिक सुरक्षाएं बहुत अर्थपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि न्यायालय केवल इस बात की जांच करता है कि इस संबंध से निर्धारित नियमों का पालन हुआ है या नहीं।

भारत सरकार बनाम तुलसी राम पटेल विवाद इस तथ्य की पुष्टि करता है। इससे न्यायिक सुरक्षाओं की प्रभावहीनता स्पष्ट होती है। श्री तुलसी राम पटेल को संविधान की धारा 311(2) के अंतर्गत जब बर्खास्त कर दिया गया।

उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के पक्ष में फैसला दिया। न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि धारा 311(2) में व्यवहृत भाषा स्पष्ट है और इससे विचार को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। विद्वान न्यायाधीशों का मत यह कठोर लग सकता है, धारा 311 में उपबंध (2) को जोड़ना लोकनीति का एक मुद्दा है और इस लोकहित में जोड़ा गया है। एक सरकारी सेवक को, जो गंभीर आपराधिक मामलें में दोषी पाया गया है, सेवा में बने रहने से पूर्ण रूपेन अयोग्य घोषित करना लोकहित में उठाया गया एक कदम है। ऐसे अधिकारों का अपने पद पर बने रहना लोकहित तो नहीं है।

न्यायालय ने आगे कहा, "वह भी उतना ही लोकहित में है कि जो अधिकारी अकुशल, बेईमान और भ्रष्ट है तथा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है उसे सेवा से हटा दिया जाए। उसे संविधान की धारा 309 और 311 के तहत मिली, सुरक्षाओं का उपयोग लोकहित के विरूद्ध करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।"

यदि धारा 311 के उपबंध (2) में वर्णित तीन परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है और इन उपबंधों का समुचित पालन करते हुए अनुशासनात्मक जांच को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी की वह दलील नहीं सुनी जाएगी कि उसकी जीविका उसके और उसके परिवार के लिए एक अहम विषय होता है, लेकिन जीविका एक निजी हित का विषय और जहां कहीं भी ऐसी जीविका लोकहित के विरूद्ध है, लोकहित को ही प्रश्रय दिया जाएगा।

प्र. "वेस्टमिन्सटर मॉडल का तत्त्वविचार भारत की राजनीतिक संस्कृति से मेल नहीं खाता है।" समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2018)

उत्तर: जब भारतीय राष्ट्रवादी, अपने स्वतंत्रता संग्राम में विजयी हुए, स्वतंत्र भारत के लिए बैठे, उन्होंने पूरी तरह से ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था बनायी और उनके अनुभव से क्या वे वंचित थे। लोकतंत्र का वेस्टमिंस्टरी मॉडल हमारी वास्तविकता के अनुकूल नहीं है।